भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2274

09.08.2021 को उत्तर के लिए

पानी की उपलब्धता में कमी

2274. डा. अमी याज्ञिक:
श्री नीरज डांगी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में कमी का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या 80 प्रतिशत से अधिक शहरी घरेलू जलापूर्ति अकेले भूजल के माध्यम से की जाती है और क्या यह प्रत्याशित है कि राष्ट्रीय स्तर पर जल की मांग आपूर्ति की तुलना में दुगुनी होगी; और
(ग) सरकार द्वारा बोरवेल और टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति पर निर्भरता को कम करने और वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण की उपयुक्त पद्धतियों में निवेश को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) वर्ष 2015 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता का आकलन 1545 घन मीटर प्रति वर्ष के रूप में किया गया था और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2021 में उपलब्धता 1486 घन मीटर तक कम हो जाएगी। वर्ष 2020 में किए गए आकलन के अनुसार, सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भू-जल निष्कर्षण 245 बीसीएम है जिसमें से 24 बीसीएम (10%) का उपयोग देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, दोनों सहित में, घरेलू प्रयोजन के लिए किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में भू-जल के ईष्टतम उपयोग, वर्षा-जल संचयन को बढ़ावा देना और भू-जल का पुनर्भरण सहित संधारणीय भू जल प्रबंधन हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित है:

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ विचार विमर्श करके भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है, जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न भू-भागों की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाते हुए एक मैक्रो स्तर की योजना है। मास्टर प्लान में मानसून की वर्षा के 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मात्रा का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना परिकल्पित है। किसी भी अन्य जल आपूर्ति योजना या शहर विकास परियोजना की तरह संबंधित अनुरूप विभाग द्वारा कार्यान्वयन के स्तर पर डीपीआर तैयार की जानी है। कार्यान्वयन केवल मौजूदा स्कीमों के

माध्यम से किया जाना प्रस्तावित किया गया है और कार्यान्वयन हेतु कोई अलग से स्कीम/निधि परिकल्पित नहीं की गई है। ''भारत में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020' http//cgwb.giv.in/MasrerPlanGWRecharge2020.pdf पर उपलब्ध है।

- मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि इसके विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल विधान के अधिनियमन हेतु उन्हें समर्थ बनाया जा सके, जिसमें वर्षा-जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है, अभी तक, 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने भूजल विधान का अंगीकरण और उसका कार्यान्वयन किया है।
- केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन हेतु 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986' की धारा 3 (3) के तहत गठित किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कृत्रिम पुनर्भरण से भूजल/वर्षा जल संचयन का संवर्धन/अंगीकरण हेतु उपाय करने के लिए परामर्श दिया है। सीजीडब्ल्यूए, कतिपय उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यवहार्य क्षेत्रों में उद्योगों, अवसंरचना इकाइयों और खनन परियोजनाओं को भू-जल के पृथक्करण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रदान करता है जहां संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा विनियमन नही किया जा रहा है। अखिल भारतीय अनुप्रयोज्जयता सहित भू-जल निष्कर्षण के नियंत्रण और विनियमन हेतु नवीनतम दिशानिर्देश 24 सितम्बर, 2020 को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए थे और http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/CGWA GWExtraction Notification 24-09-2020.pdf पर उपलब्ध है।
- जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान (जेएसए)-जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु एक अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के दौरान, अधिकारी, भूजल के विशेषज्ञ और भारत सरकार के वैज्ञानिक, भारत के अत्यधिक जल अभाव वाले जिलों में राज्य और जिला अधिकारियों के साथ जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन हेतु कार्य करेंगे।
- सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में, सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) की अध्यक्षता में एक 'अंतर मंत्रालयी समिति' को मॉनसून की वर्षा-जल के इष्टतम उपयोग हेतु जल संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों पर बल देना' विषय को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है।
- केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने संघ शासित क्षेत्रों सहित देश में सभी लक्ष्य क्षेत्रों के लिए अनिवार्य वर्षा जल संचयन/छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को स्थापित करने के लिए 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए हैं। भू-जल का निष्कर्षण करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी)' प्रदान करते समय, सीजीडब्ल्यूए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य वर्षा जल संयचन हेतु जोर देता है।
- डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर विभाग के तहत केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने वर्ष 2013 के दौरान 'भारत में भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान' शीर्षक से संकल्पना दस्तावेज भी तैयार किया है, जिसमें भूजल संसाधनों का संवर्धन करके अतिरिक्त बह गए मॉनसून के वर्षा जल का उपयोग करके 9,41,541 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) का उपयोग करने

के लिए 79,178 करोड़ रूपय्रे की अनुमानित लागत पर देश में 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना परिकल्पित है।

- इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल प्रबंधन और विनियमन की स्कीम के तहत XIIवीं योजना के दौरान जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। जलभृत मानचित्रण का लक्ष्य सामुदायिक भागीदारी से जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए जलभृत की प्रकृति और उनके विशिष्ट लक्षणों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। उपयुक्त उपाय करने के लिए प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके और सहमत होकर जल संरक्षण/प्रबंधन, जल संरचना, मृदा और नमी संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, बाढ़ से सुरक्षा, भूमि विकास, कमान्ड क्षेत्र का विकास और जल विभाजन प्रबंधन हेतु निधियों के लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए 'जल संरक्षण मिशन' शीर्षक से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के लिए कार्रवाई योग्य कार्यढ़ांचा विकसित किया है।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित किए गए मॉडेल भवन उपनियम (एमबीबीएल) 2016 में वर्षा जल संचयन हेतु प्रावधान शामिल हैं और इसे सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। अभी तक 33 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने एमबीबीएल-2016 के वर्षा जल संचयन के प्रावधानों को अंगीकार किया है।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने जल संरक्षण और भू जल पुनर्भरण में अच्छी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार संस्थापित किए हैं।
- वर्षा जल संचयन और भू जल के कृत्रिम पुनर्भरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) स्कीम के तहत हर वर्ष समय-समय पर जनजागरूकता कार्यक्रम (प्रशिक्षण सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, व्यापार मेले और चित्रकला प्रतियोगिताएं आदि) आयोजित किए जाते हैं।

****